

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 22/2025

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री दिलीप कुमार/थावरदास जाति क्षत्रिय  
हाल निवासी न्यू बाबा रामदेव होटल  
(फैमली-रेस्टोरेंट) भंसाली पेट्रोल पम्प के  
पास, असाडा रोड बालोतरा।

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 15.07.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 23.01.2025 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स न्यू बाबा रामदेव होटल (फैमली रेस्टोरेंट) भंसाली पेट्रोल पम्प के पास, असाडा रोड बालोतरा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री रामसिंह पुत्र सवाईसिंह उपस्थित मिले। मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर जो भट्टी से जुड़े हुए पाए गए तथा खाना बनाकर बेचने का कार्य किया जाना पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	320557 टी	Hp	20.8	15.6	5.2
2.	430663 एच	HP	22	15.9	6.1

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर तथा बिना दस्तावेज व्यावसायिक उपयोग करने पर अवैध मानते हुए उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स मधुबन गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री भंवराराम पुत्र भेराराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर बिना



जिला कलक्टर  
बालोतरा

दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के व्यावसायिक उपयोग करने हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया।
4. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।
5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर के विक्रय संबंधित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रुबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स मधुबन गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री भंवराराम पुत्र भेराराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), " किसी सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक किसी भी घर को सिलेंडर में भरी हुई द्रवीत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस घर का व्यक्ति जिसके नाम पर कनेक्शन जारी किया गया है " 7(1) " उसके पास भरा हुआ या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता न हो। " का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा विक्रय संबंधित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), "द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, जिसके लिए उपभोक्ता किसी सरकारी तेल कंपनी के वितरक के पास पंजीकृत है" व 7(1) "सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भरे या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व और प्रेशर रेगुलेटर की आपूर्ति या बिक्री करना" का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी



जिला कलेक्टर  
बालोतरा

प्रार्थना पत्र /22/2025/प्रर्वतन निरीक्षक बनाम दिलीप कुमार

बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)  
जिला कलक्टर, बालोतरा  
बालोतरा

